प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सेवा में.

समस्त जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-1114 / जी०-415/2012-13 दिनांक 13 मार्च, 2015

विषय- त्रुटिरहित अन्तिम भूचित्र तैयार कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय.

कृपया उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि पूर्व में पत्र संख्या-/सा०7867/वि0प्र0/सा0 दिनांक 06 फरवरी, 2015 के द्वारा अन्तिम मूचित्र बनाए जाने व उसकी जाँच के सम्बन्ध में समस्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को व्यापक दिशा-निर्देश दिये जा चुके हैं। परन्तु प्रायः यह संज्ञान में आता है कि अन्तिम मूचित्र के ऑधकर्ता अधिकारियों द्वारा जाँचोपरान्त अपने हस्ताक्षर भूचित्र पर अंकित नहीं किये जाते हैं तथा किन गाटों की जाँच उक्त अधिकारियों द्वारा की गयी है, इसका भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं रहला जबकि जोत चकबन्दी मैनुअल के परिच्छेद-17 के प्रस्तर-472(अ) के प्रस्तर-478 में. नए मास अभिलेखों एवं नक्शे की जाँच के सम्बन्ध में चकबन्दीकर्ता, सहायके चकबन्दी अधिकारी एवं चकबन्दी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जॉच रजिस्टर बनाए जाने का प्राविधान है। उक्त प्राविधान का कड़ाई से पालन न करने के कारण अन्तिम भूचित्र में पुटियों रह जाती हैं जिससे अनावश्यक विवाद तो बढ़ते ही है साथ ही कृषकों को असुविधा भी होती है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि जीत पकयल्दी मैनुअल के प्रस्तर-472(अ) से प्रस्तर- 478 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जाँच रजिस्टर बनाकर उसका प्रभावी अनुश्रवण करने के साथ उ०प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-52 (1) के अन्तर्गत प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र भी भेजना सुनिश्चित करें कि ग्राम के अन्तिम भूचित्र की जाँच, जोत चकबन्दी मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार सभी उत्तरर्दायी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कर ली गयी है। उक्त प्रमाणपत्र पर सम्बन्धित चकबन्दीकर्ता, अनुरेखक, मुख्य अनुरेखक, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी य बन्दोबस्त अधिकारी पकबन्दी के भी हस्ताक्षर अंकित होना आवश्यक है। भविष्य में यदि अन्तिम भूचित्रों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उक्त भूचित्र को तैयार तथा उसकी जाँच करने वाले एवं सम्बन्धित चकबन्दी प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(मुरलीधर दुबे)
चुकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, राजस्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. समस्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।

(मुरलीधर दुबे)
चुकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।